भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1755

दिनांक, 08.03.2016/18 फाल्गुन, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

सुरक्षा कवर वापस लेना

†1755. **श्री पी.आर सेनथिलनाथन**:

श्री पी.नागराजन:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनेक अतिविशिष्ट व्यक्तियों को प्रदत राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को "ब्लैक कैट" की सुरक्षा का वापस लेने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एनएसजी के सुरक्षाकर्मी आतंकवाद के विरूद्ध की जाने वाली कार्रवाई में लगे हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कुल कितने अतिविशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा कवर प्रदान किए गए हैं तथा आज की तारीख तक इसमें कितने सुरक्षाकर्मी नियोजित हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान एनएसजी द्वारा अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी**)

(क): जी, नहीं। वर्तमान सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को एनएसजी द्वारा उपलब्ध कराई गई सुरक्षा को वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख): और (ग): राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) मुख्य रूप से आतंकवाद-रोधी बल है। तथापि, एनएसजी को 16 **सुरक्षा प्राप्त व्यक्यियों को सुरक्षा कवर उपलब्ध कराने का कार्य भी सौंपा गया है। दिनांक** 01.02.2016 **की स्थिति के अनुसार अति विशिष्ट व्यक्तियों (वीआईपी) की सुरक्षा पर तैनात एनएसजी सुरक्षा कार्मिकों की संख्या** 515 **है।**

<u>**लो.स.अता.प्र.सं**.1755</u>

(घ): एनएसजी सुरक्षा कवर प्रदान करने पर हुए व्यय का आकलन करना कठिन है क्योंकि इसके संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन एनएसजी को वाहन, ईंधन, आवास और अन्य संभारिकी सहायता प्रदान करते हैं।